पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों का विवरण

क्र.	जिला	क्षेत्र का विवरण	अधिसूचना दिनांक/ क्रमांक	अभियुक्ति
टिन				
1	पूर्ववर्ती बस्तर (वर्तमान में कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर) दुर्ग	संपूर्ण क्षेत्र	19–4/78/12, दिनांक 16.6.1978	राज्य शासन ने आगामी आदेश तक जिला बस्तर के अंतर्गत आने वाले टिन अयस्क (केसेटराइट, बेरिल, लेपिटोलाइट, माईका, क्वार्टज, फेल्सपार एवं कोरण्डम) का समस्त क्षेत्र राज्य खनिज निगम के माध्यम से स्वतः खनन करने हेतु सुरक्षित किया है।

क्र. बी. 7-31-78-सात-सा.-1.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			हेक्टर		
होशंगाबाद	सिवनीमालवा	मु राडिया	7.757	अधीक्षण यंत्री, तवा बांयी तट नहर मण्डल, होशंगाबाद.	तवा परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

क्र. बी.-7-45-78-सात-सा.-1.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन्, 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—]

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			हेक्टर		
होशंगाबाद	सिवनीमालवा	बराखड़ कला	4.587	अधीक्षण यंत्री, तवा बांयी तट नहर मण्डल, होशंगाबाद.	तवा परियोजना की नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स. म. देव, उपसचिव.

खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जून 1978.

क्र. 19-4-78-बारह.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन ने आगामी आदेश तक जिला बस्तर के अंतर्गत आने वाले टिन अयस्क (कैसिटेराइट) [illegible], लेपीडोलाइट, माईका, [illegible], [illegible] का समस्त क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से स्वतः खनन करने हेतु सुरक्षित किया है.

भोपाल, दिनांक 4 मई 1978.

क्र. 19-2-78-बारह.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि राज्य शासन ने आगामी आदेश तक तहसील कांकेर, जिला बस्तर के निम्न ग्रामों के अन्तर्गत आनेवाले बाक्साईट के समस्त क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से स्वतः खनन करने हेतु सुरक्षित किया है.

(1) केशकाल, (2) कुई, (3) कुदरवाही, (4) [illegible] (5) बुधियारमारी, (6) [illegible], (7) [illegible] डोमरी, (8) मरमाकोमारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
[illegible], उपसचिव.